Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arbitration Case No.-153/2022]

Sachidanand Kumar.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar .....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.08.2026	**आदेश** प्रासंगिक Arbitration वाद राष्ट्रीय राजमार्ग 106 (वीरपुर से बीहपुर तक) के चौड़ीकरण हेतु अर्जित किये गये भूमि के निर्दिष्ट अंश यथा अंचल-राघोपुर, मौजा-धरहरा, थाना नं0-128, खाता संख्या-213 एवं 135, खेसरा संख्या-2853 एवं 3396, रकवा-0.72 एवं 0.02 ए0 भूमि की मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में संचालित भू-अर्जन वाद संख्या-167/2015-16/ 2017-18 में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता हेतु दायर किया गया है। **अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि :-** 1. उनकी अर्जित की गई भूमि मुख्य सड़क के नजदीक है तथा उन्हें 75,000/- रू0 प्रति डी0 की दर से मुआवजा भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि उन्हें अर्जित किये गये भूमि का मुआवजा शाखा सड़क के किनारे स्थित भूमि के लिए निर्धारित 45,000/- रू0 प्रति डी0 की दर से भुगतान किया गया है। 2. इनका कहना है कि मो0 इदरिस साफी की भूमि, जो मुख्य सड़क के नजदीक स्थित है, को इस न्यायालय द्वारा आर्बिट्रेशन वाद संख्या-02/2017 में दिनांक-16.07.2021 को 75,000/- रू0 प्रति डी0 की दर से मुआवजा भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया है। 3. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उनके द्वारा 75,000/- रू0 प्रति डी0 की दर से मुआवजा भुगतान किया जाए। **प्रश्नगत मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-3071 दिनांक-16.09.2023 से समर्पित प्रतिवेदन में निम्न तथ्य अंकित है :-** 1. यह आर्बिट्रेशन वाद कानूनी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। क्योंकि आवेदक को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है जिसे उन्होंने बिना किसी आपत्ति के प्राप्त किया है। 2. याचिकाकर्त्ता द्वारा या उनकी ओर से दायर वर्त्तमान आर्बिट्रेशन वाद परिसीमा से बुरी तरह प्रभावित है। अतः खारिज किये जाने योग्य है। 3. छः सदस्यीय समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि के भौतिक सत्यापन के उपरांत भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार उचित मुआवजा प्रदान किया गया है। 4. प्रश्नगत भूमि सड़क किनारे अवस्थित है। 5. आवेदक का वर्त्तमान वाद कालबाधित है एवं खारिज योग्य है। **प्रश्नगत मामले में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक-664 दिनांक-29.04.2025 से समर्पित प्रतिवेदन में निम्न तथ्य अंकित है :-** 1. जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-106 के निर्माण कार्य हेतु खेसरा संख्या-2853 एवं 3396 के भूमि के जिस अंश का अर्जन किया गया है, वह मुख्य सड़क (पुराने N.H.) से लगभग 75 मी0 की दूरी पर अवस्थित है। वर्णित स्थल पर Aligment	

आयुक्त न्यायालय कोसी प्रमंडल, सहरसा

Improvement हेतु पुराने सड़क से हट कर Greenfield Land में नये सड़क हेतु भूमि का अर्जन कर पथ का निर्माण किया गया है। मो0 इदरिस साफी के भूमि का अर्जन खेसरा संख्या-3396 में किया गया है तथा मो0 साफी द्वारा दायर आर्बिट्रेशन वाद संख्या-02/2017 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय जिला न्यायालय, सुपौल में आर्बिट्रेशन वाद संख्या-02/2022 दायर किया गया है, जिसमें सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है।

2. सक्षम प्राधिकार द्वारा 3G के अनुसार अर्जित भूमि के मुआवजा की राशि का भुगतान आवेदक को किया गया है।

प्रश्नगत मामले में छः सदस्यीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन, NH Act-1956 के प्रावधानों तथा सभी संबद्ध पक्षों द्वारा लिखित में समर्पित पक्षों के अवलोकनोपरान्त यह तथ्य परिलक्षित होता है कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि सड़क किनारे अवस्थित है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आवेदक के दावा का सम्यक विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः इस मामले को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-603/रा0 दिनांक-22.04.2025 के आलोक में अपर समाहर्त्ता, सुपौल की अध्यक्षता में 05 (पाँच) सदस्यीय उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति को एक माह के अन्दर स्थल जाँचोपरान्त नियमानुसार भूमि की किस्म/प्रकृति एवं मुआवजा निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। वाद की कार्रवाई निष्पादित की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
-सह-Arbitrator

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
-सह-Arbitrator